

मूक पत्रिका

निष्पक्ष, निर्भीक, स्वतंत्र आवाज...

वर्ष - 02 अंक - 336 बेमेतरा, रविवार 02 अगस्त 2026 रायपुर एवं बेमेतरा से प्रकाशित कुल पेज - 08 मूल्य - 1 रुपये डाक पंजीयन- दुर्ग/1743290201/2025-27

कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की मौत, प्रशासन ने परिजनों को सहायता का भरोसा दिलाया

सारगढ़-बिलाइगढ़। जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले के केलम गांव में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सक्ती जिले के बुंदेली गांव निवासी 24 वर्षीय दीपक रात्रे तथा सारगढ़-बिलाइगढ़ जिले के धनसीर छुहड़ा गांव निवासी 28 वर्षीय भूपेंद्र भैना के रूप में हुई है। घटना के बाद दोनों परिवारों में शोक का माहौल है। स्थानीय प्रशासन ने शनिवार को मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार शाम कुलगाम जिले के केलम गांव स्थित एक ईंट भट्टे में काम कर रहे प्रवासी मजदूरों पर आतंकीयों ने गोलीबारी की। इस हमले में दीपक रात्रे की मौत पर ही मृत्यु हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र भैना को उपचार के लिए श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज



(एसकेआईएमएस) भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बताया गया कि दीपक रात्रे करीब एक वर्ष पूर्व अपनी पत्नी और भाई के साथ रोजगार की तलाश में जम्मू-कश्मीर गया था। वहीं भूपेंद्र भैना लगभग तीन माह पहले अपनी पत्नी के साथ वहां मजदूरी के लिए पहुंचे थे। दोनों केलम गांव के एक ईंट भट्टे में कार्यरत थे। भूपेंद्र भैना अपने पीछे दो वर्षीय पुत्र, वृद्ध दादी

और बहन को छोड़ गए हैं। परिजनों के अनुसार वह परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे, जबकि उनके माता-पिता वर्तमान में रोजगार के सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में हैं। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने दोनों परिवारों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। परिजनों ने मृतकों के पार्थिव शरीर को शीघ्र छत्तीसगढ़ लाने की मांग की है।

कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के मृत श्रमिकों के परिजनों को राज्य सरकार देगी 20-20 लाख रुपये की

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों पर किए गए कायराना हमले में सक्ती जिले के निवासी दीपक रात्रे तथा सारगढ़-बिलाइगढ़ जिले के निवासी भूपेंद्र भैना के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री साय ने इस जघन्य और अमानवीय आतंकी घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के विरुद्ध अपराध है और ऐसे कायराना कृत्य किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं हैं।



मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इस दुःख की घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता और मजबूती से खड़ी है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार की ओर से दोनों दिवंगत श्रमिकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों से संपर्क कर आवश्यक समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्त की जाएगी, जो परिजनों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा।

साय-नितिन नवीन के बीच हुई संगठनात्मक चर्चा

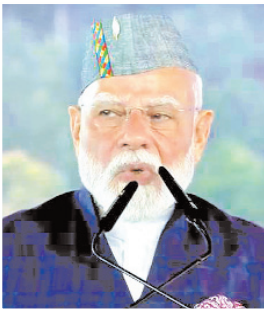


रायपुर/दिल्ली। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात को लेकर सीएम साय ने बताया कि नई दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विभिन्न संगठनात्मक एवं जनहित से जुड़े विषयों पर विस्तृत

चर्चा हुई। भौगोलिक संदर्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने तथा संगठन और सरकार के समन्वय को और सशक्त बनाने के विषय पर भी विचार-विमर्श हुआ।

‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्रा नरेंद्र मादां वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने शनिवार को बताया कि इस पहल का मकसद युवाओं को नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक बदलाव का दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के साथ नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले देशव्यापी ‘जन भागीदारी’ अभियान की शुरुआत होगी।



सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक़ड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का मकसद नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ एक सामूहिक आंदोलन खड़ा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, नागरिक समाज समूहों, उद्योग निकायों और आध्यात्मिक संगठनों को एक साझा मंच पर लाकर सामुदायिक भागीदारी को और मजबूत करना है।

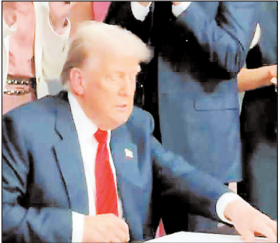
वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर दिल्ली में 192 रुपये सस्ता



नयी दिल्ली। तेल विपणन कंपनियों ने शनिवार से 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर की कीमतों में कटौती की है। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में एक अगस्त से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर 2,930 रुपये की जगह 2,738 रुपये का मिलेगा। इस प्रकार इसमें 192 रुपये की कटौती की गयी है। वहीं, 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपये पर स्थिर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के बाद सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों ने वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए जुलाई में भी रसोई गैस के दाम घटाये थे।

ईरान के साथ विवाद सुलझाने के लिए समय-सीमा तय करना मुश्किल : राष्ट्रपति ट्रंप

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ विवाद को सुलझाने के लिए समय-सीमा तय करना मुश्किल है। ट्रंप ने शुक्रवार को ‘रियल अमेरिकाज् वॉयस’ से कहा, यह हमेशा मुश्किल होता है। हमने वेनेजुएला का मामला एक दिन से भी कम समय में निपटा लिया था। उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ था। ईरान के मामले में, परिभाषाओं के आधार पर कहें तो, 16-18 लोग (प्रभावित हुए हैं)। उन्होंने माना कि चल रहे विवाद के दौरान ईरान उनकी पिछली सोच की तुलना में कहीं ज्यादा कड़ा प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ है। कैप डेविड से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, उनके पास न तो नौसेना है, और न ही वायुसेना।



ज्यादातर लोग हार मान लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं उन्हें इसका श्रेय देता हूँ। उनसे पूछा गया था कि इस्लामिक रिपब्लिक की क्षमताओं को कमजोर करने के लिए और कितने हमले करने होंगे। उन्होंने आगे कहा, वे बहुत सख्त माने जाते हैं। वे वाकई सख्त हैं। ट्रंप ने उन अधिकारियों के नाम बताए जो अभी ईरान के साथ बातचीत में शामिल हैं, जिनमें विशेष दूत स्टीव वित्कोफ

और जेरेड कुशनर, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हैं। ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, स्टीव बात कर रहे हैं, जेरेड... जेडी बहुत मजबूती से शामिल हैं... मार्को भी शामिल हैं। पेंटागन के ‘डिफेंस कैजुअल्टी एनालिसिस सिस्टम’ के अनुसार, ‘ऑपरेशन एपिक फ्यूरी’ में मारे गए सैनिकों की संख्या 14 है। पेंटागन ने यह भी बताया कि विदेशी अभियानों में चार सैनिक मारे गए।

तेहरान और वॉशिंगटन ने 18 जून की रात एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 28 फरवरी से शुरू हुए विवाद को खत्म करने की बात कही गई थी। हालांकि, 8 जुलाई के बाद से अमेरिकी सेना ने ईरान पर कई बार हमले किए हैं।



सुनवाई तथा निस्तारण 17 सितंबर तक चलेगा। ओडिशा की अंतिम सूची का प्रकाशन 21 सितंबर को किया जाएगा। तेलंगाना में मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म भरवाने की 25 जून से चल रही प्रक्रिया को अब 10 अगस्त तक निपटारा जाएगा। वहां वहां के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर लिये गये हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ओडिशा में इस प्रक्रिया के तहत पांच जुलाई को प्रकाशित नयी सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियों के लिए समय बढ़ाकर 19 अगस्त तक कर दिया गया है। पहले यह चरण चार अगस्त को पूरा किया जाना था। इसी तरह वहां प्राप्त दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने और उन पर

संशोधित मतदाता सूची का मसौदा 17 अगस्त को जारी किया जाएगा और उसी दिन से दावे और आपत्तियों का दौर 16 सितंबर तक चलेगा। तेलंगाना में दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने, उन पर सुनवाई और उनके निस्तारण का काम 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलेगा और राज्य की नयी संशोधित पक्की सूची 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

अब गूगल मैप पर आसानी से तलाश सकेंगे अपनी गांव-पंचायतों की गलियां

पटना। पंचायती राज विभाग के स्तर से डिजिटल इंडिया अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा योगदान दिया जा रहा है। ‘ग्राम

मानचित्र’ योजना के तहत गांवों का विस्तृत डिजिटल मानचित्र तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गूगल मैप से घर ढूंढने में होने वाली परेशानी खत्म होगी। यह एकीकृत भू-स्थानिक (जीआईएस) आधारित प्लेटफॉर्म गांव की हर संपत्ति और सुविधा को डिजिटल रूप में दर्ज करेगा, जिससे बिहार के पंचायतों में संचालित विकास योजनाओं की निगरानी भी ग्रामीण कर सकेंगे। इससे ग्रामीण विकास पूरी तरह पारदर्शी, तकनीकी आधारित और योजना-आधारित बनेगा।



समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे शासन की योजनाओं का लाभ : राज्यपाल रमेन डेका

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने अपने दो दिवसीय रायगढ़ प्रवास के प्रथम दिवस पर जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों से चर्चा कर शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की



इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ.सी.आर.प्रसन्ना, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे।

जागरूकी ली। जिला कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में उन्होंने जल संरक्षण, पौधारोपण, पर्यावरण संवर्धन, जैविक कृषि, स्वच्छता, योग, टीबी उन्मूलन, आजीविका, सहकारिता, सड़क सुस्था सहित बीस से अधिक बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए अधिकारियों को पूरी गंभीरता, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल डेका ने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब उनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुंचे।

राज्यपाल डेका ने जिले में जल संरक्षण एवं जल संचयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेते हुए कहा कि वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने अन्य राज्यों असम, त्रिपुरा एवं छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में जल संरक्षण के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए वर्षा जल संग्रहण, वाटर हार्वैस्टिंग तथा जल स्रोतों के संरक्षण के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।

चुनाव आयोग ने ओडिशा, तेलंगाना की मतदाता सूचियां के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियां बढ़ाई

नयी दिल्ली। चुनाव आयोग ने ओडिशा और तेलंगाना की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रमों में संशोधन किया है जिससे अब ओडिशा की नयी सूची 21 सितंबर को और तेलंगाना की 19 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी।

आयोग ने शनिवार को बताया कि इन दोनों राज्यों के बारे में यह निर्णय वहां के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर लिये गये हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ओडिशा में इस प्रक्रिया के तहत पांच जुलाई को प्रकाशित नयी सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियों के लिए समय बढ़ाकर 19 अगस्त तक कर दिया गया है। पहले यह चरण चार अगस्त को पूरा किया जाना था। इसी तरह वहां प्राप्त दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने और उन पर



सुनवाई तथा निस्तारण 17 सितंबर तक चलेगा। ओडिशा की अंतिम सूची का प्रकाशन 21 सितंबर को किया जाएगा। तेलंगाना में मतदाताओं के घर-घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म भरवाने की 25 जून से चल रही प्रक्रिया को अब 10 अगस्त तक निपटारा जाएगा। वहां वहां के मुख्य चुनाव अधिकारियों के अनुरोध पर लिये गये हैं। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ओडिशा में इस प्रक्रिया के तहत पांच जुलाई को प्रकाशित नयी सूची के मसौदे पर दावे और आपत्तियों के लिए समय बढ़ाकर 19 अगस्त तक कर दिया गया है। पहले यह चरण चार अगस्त को पूरा किया जाना था। इसी तरह वहां प्राप्त दावे और आपत्तियों पर नोटिस जारी करने और उन पर

अमेरिका-इजरायल के संभावित हमलों पर ईरान की चेतावनी, जवाबी कार्रवाई की पूरी तैयारी का दावा

तेहरान। ईरान के एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि अमेरिका और इजरायल की ओर से अगर ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो इससे निपटने के लिए उसने व्यापक जवाबी योजना तैयार कर रखी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम से बातचीत में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इससे पहले मीडिया सूत्रों के हवाले से बताया था कि अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रहे हैं, जो इस सप्ताहांत हो सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हम ईरान के



बुनियादी ढांचे पर संभावित हमलों संबंधी अमेरिकी मीडिया की खबरों को पागलपन मानते हैं। हमने व्यापक जवाबी योजना तैयार की है, जिसमें जायोनी शासन (इजरायल) के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और क्षेत्र में अमेरिकी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की रणनीति शामिल है। उल्लेखनीय है कि 18 जून की रात

ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत 28 फरवरी से जारी संघर्ष को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, आठ जुलाई से अमेरिकी बलों ने ईरान पर कई चरणों में हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने दावा किया कि ये हमले होमुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ ईरानी कार्रवाइयों के जवाब में किये गये हैं। इसके जवाब में ईरान ने मध्य-पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए।

कोयंबटूर में 2022 के बम विस्फोट मामला

ईडी की तमिलनाडु, मुंबई और हैदराबाद में छापेमारी



में कहा कि यह विस्फोट आत्मघाती हमलावर जमीशा मुबीन ने किया था, जिसने हमले से पहले आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी।

जांच में पाया गया कि मुबीन और उसके सहयोगियों ने मोहम्मद अजरुद्दीन की गिरफ्तारी का बदला लेने के उद्देश्य से यह हमला किया था। अजरुद्दीन पर कट्टरपंथी

विचारधारा का प्रचार करने, आईएसआईएस के समर्थन में धार्मिक कक्षाएं संचालित करने तथा युवाओं को संगठन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। ईडी के अनुसार, मामले के 12 आरोपियों, जिनमें जमीशा मुबीन और मोहम्मद अजरुद्दीन भी शामिल हैं, ने जमील बाशा से शिक्षा प्राप्त की थी। बाशा मद्रास अरबी कॉलेज (कोवई अरबी कॉलेज) का संचालक है। जांच में आरोप है कि वह अरबी शिक्षा की आड़ में खिलाफत की विचारधारा, जिहाद और हिंसक संघर्ष का प्रचार कर भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने की वकालत करता था।

जांच में यह भी सामने आया कि अगस्त 2021 से जून 2022 के बीच आरोपियों ने फर्जी कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र तैयार कर बेचने का गिरोह चलाया। तमिलनाडु और मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में

बिना टीका लगवाए प्रमाणपत्र चाहने वाले लोगों से धन लेकर उन्हें फर्जी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराए जाते थे। ईडी के अनुसार, इस अवैध गतिविधि से अर्जित धन का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री खरीदने तथा मद्रास अरबी कॉलेज/कोवई अरबी कॉलेज की गतिविधियों के संचालन में किया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि जमील बाशा ने अपने पूर्व छात्रों, निवेशकों और अन्य लोगों से दान एवं निवेश के माध्यम से धन जुटाया, जिसका उपयोग अरबी शिक्षा की आड़ में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित करने के लिए किया जाता था। जांच एजेंसी के अनुसार, कॉलेज के माध्यम से अर्जित धन का उपयोग अरबी कक्षाओं के संचालन, विदेश यात्राओं, निजी खर्चों तथा अवल संपत्तियों में निवेश के लिए भी किया गया।

निष्पक्ष जांच ही दूर करेगी संशय -यदि संबंधित शिक्षकों को शास्त्र के निर्धारित नियमों से टेढ़ाकर मूल स्थान पर भेजा गया है, तो पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए वहीं यदि सभी आदेश नियमानुसार जारी किए गए हैं, तो शिक्षा विभाग दस्तावेजों सहित सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, ताकि कि प्रकाश की भाँति या अविश्वसनीय की स्थिति न बने।

संपादकीय

अपनी मांगों के साथ ‘संसद मार्च’ का आह्वान करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई, उससे यह सवाल उठ है कि सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे और जनता के संवैधानिक अधिकारों को कैसे देखती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता को किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध और असहमति जाहिर करने का अधिकार होता है और सरकार को इसे सकारात्मक नजरिए से देखना चाहिए। जब भी जनता के किसी हिस्से में सरकार के रुख की

वजह से असंतोष पैदा होे, तो यह जिम्मेदारी सरकार की ही होती है कि वह संवाद के जरिए इस दौरान स्थिति बिगड़ने की आशंका होती, तो उसे नियंत्रित करने के लिए भी हर वह विकल्प आजमाए जाने चाहिए थे, जिससे प्रदर्शन बेलगाम न होे और न ही पुलिस को हिंसक बलप्रयोग करने की जरूरत पड़े। मगर अपनी मांगों के साथ ‘संसद मार्च’ का आह्वान करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस ने जैसी सख्ती दिखाई, उससे यह सवाल उठ है कि

सरकार देश के लोकतांत्रिक ढांचे और जनता के संवैधानिक अधिकारों को कैसे देखती है।गौरतलब है कि नीट प्रश्नपत्र लीक होने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। मगर इस क्रम में ज्यादा गंभीर आरोप यह सामने आया कि आंदोलनकारियों पर पुलिस की ओर से पेलेट गन भी चलाया गया। वहीं पुलिस के इस खवैये

के विरोध में जब देश के अन्य हिस्सों में भी प्रदर्शन शुरू हुए, तो वहां भी गैरजरूरी तरीके से आक्रामक रुख अखि्यार किया गया।महसूस करने पर आरोप के मुताबिक, बिहार के सिवान में एक पुलिसकर्मी ने एके-47 राइफल से विद्यार्थियों पर गोलियां चलाईं। सवाल है कि महज प्रश्नपत्र लीक होने के मसले पर अपना विरोध जताने वालों के खिलाफ घातक हथियार चलाने की हद तक जाकर पुलिस आखिर क्या संदेश देना चाहती है। क्या ऐसे आरोपों के बाद अनिवार्यता

की दलील पर विद्यार्थियों के खिलाफ ऐसे बर्ताव को उचित ठहराया जा सकता है?यों आज के दौर में अमूमन हर सार्वजनिक गतिविधि की जीवंत तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर जाती हैं, लेकिन अगर इस तरह के आरोप भी लगे, तो क्या यह संविधान और देश के लोकतांत्रिक ढांचे के प्रति सरकार की वचनबद्धता पर सवालिया निशान नहीं हैं? कायदे से अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक जिम्मेदारियों को लेकर सरकार को खुद सजग रहना चाहिए था।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधन- अस्तित्व पर मंडराता खतरा

(ललित गर्ग)
इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 19९१ से 20२१ के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग ८.५ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी को नमी को तेजी से कम करती है।

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विर्दबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट को गंभीरता की और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग ४५० घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग ३७ गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है।

इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष १९९१ से 20२१ के बीच मानसूनी वर्षा में लगभग ८.५ प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोखेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है।

भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग ८० प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है। आर्वाय से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल

संसाधन सीमित हैं। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सिधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा



जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभाव पालन नहीं हो पाया।

जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है। यदि नदियां स्वस्थ रहेंगी तो भूजल भी समृद्ध होगा। आज आवश्यकता केवल नई परियोजनाओं की नहीं, बल्कि जल संस्कृति के पुनर्जागरण की है। भारत में कभी तालाब,

बावड़ियां, जोहड़, कुंड और पारंपरिक जल संरचनाएं गांवों की पहचान होती थीं। वे वर्षा के जल को रोककर भूजल को समृद्ध बनाती थीं। आधुनिक विकास की दौड़ में इन जल स्रोतों को या तो नष्ट कर दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया। यदि इन पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन किया जाए तो जल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। जल संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। घरों में पानी की अनावश्यक बर्बादी रोकना, वर्षाजल संचयन अपनाना, रिसाव ठीक कराना, कम पानी वाले उपकरणों का उपयोग करना और बच्चों में जल संरक्षण के संस्कार विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रत्येक परिवार प्रतिदिन कुछ लीटर पानी भी बचाए तो राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लीटर जल की बचत संभव है। सरकार को भी जल प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। प्रत्येक जिले के लिए भूजल बजट तैयार किया जाए, भूजल दोहन पर वैज्ञानिक नियंत्रण हो, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों-ड्रिप और स्प्रींकलर-को व्यापक प्रोत्साहन मिले तथा ऐसे कृषि अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए जो कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्में विकसित करे। साथ ही जल शिक्षा को विद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी जल के महत्व को केवल पुस्तकों में नहीं, व्यवहार में भी समझ सके। भविष्य का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या हमारे पास आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल बचेगा? यदि आज भी हमने जल को केवल उपभोग की वस्तु समझा तो आने वाले वर्षों में जल के लिए संघर्ष, पलायन और सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक होगा। खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित होगा, महंगाई बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गहरा संकट आएगा। इसलिए जल संरक्षण केवल सरकारी का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि ‘जल बचाना ही भविष्य बचाना है।’ हमें बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। काफी प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट को अवसर में बदला जा सकता है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विवशता बन जाएगा। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

पर्यावरण का विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक शांति का भी प्रश्न है। आज समय की पुकार है कि ‘जल बचाना ही भविष्य बचाना है।’ हमें बदलती जलवायु के अनुरूप अपनी नीतियों, कृषि प्रणाली और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन लाने होंगे। काफी प्रत्येक बूंद को धरती में उतारना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना और जल अनुशासन को जन-आंदोलन बनाना ही इस संकट का सबसे प्रभावी समाधान है। यदि सरकार, वैज्ञानिक, किसान, उद्योग, सामाजिक संगठन और आम नागरिक मिलकर इस दिशा में संकल्पबद्ध प्रयास करें तो जल संकट को अवसर में बदला जा सकता है। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब पानी की एक-एक बूंद के लिए संघर्ष करना मानव सभ्यता की सबसे बड़ी विवशता बन जाएगा। लेखक, पत्रकार, स्तंभकार है। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

व्यापक ध्यान मिलता है, वहीं अनुसंधान की गुणवत्ता, वैज्ञानिक कदाचार, सार्वजनिक धन के उपयोग और संस्थागत जवाबदेही जैसे विषयों पर अपेक्षाकृत कम चर्चा होती है। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की वैज्ञानिक व्यवस्था का बड़ा हिस्सा करदाताओं के धन से संचालित होता है। फिर भी, अनुसंधान की प्राथमिकताएं कैसे तय होती हैं, परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है और संस्थानों को किस प्रकार जवाबदेह बनाया जाता है? यह सब सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा होना चाहिए। शोध-पत्रों की वापसी, वैज्ञानिक कदाचार और भारत की 'प्रकाशित करो या समाप्त हो जाओ' संस्कृति पर हाल के विवादों ने अनुसंधान की गुणवत्ता, प्रकाशन दबाव और संस्थागत जवाबदेही को लेकर गंभीर प्रश्न उठाए हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सीधा संबंध वैज्ञानिक विश्वसनीयता से है, लेकिन वे आमतौर पर उतनी सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं बनते, जितना महत्त्व किसी नई वैज्ञानिक उपलब्धि या तकनीकी सफलता को मिलता है। फिर भी जवाबदेही और विश्वास को परस्पर विरोधी नहीं माना जाना चाहिए। 'नेचर' पत्रिका में प्रकाशित एक टिप्पणी में तर्क दिया गया है कि वैज्ञानिकों और पत्रकारों को मिलकर अनुसंधान की रक्षा करनी

भारत में विज्ञान पत्रकारिता- वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ जवाबदेही और पारदर्शिता क्यों जरूरी है?

(रोहन सिंह)
भारत में विज्ञान और अनुसंधान पर खर्च लगातार बढ़ रहा है लेकिन वैज्ञानिक दावों, संस्थागत जवाबदेही और सार्वजनिक निवेश की स्वतंत्र पड़ताल अब भी सीमित है। भारत ने वर्षों से अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का व्यापक उत्सव मनाया है। फिर भी इन उपलब्धियों के पीछे की संस्थाएं, निवेश, असफलताएं और जवाबदेही अक्सर सार्थक सार्वजनिक जांच-पड़ताल से बाहर रही हैं। आज भारत में विज्ञान सार्वजनिक जीवन में पहले से कहीं अधिक दिखाई देता है। चंद्र अभियानों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर मौसम पूर्वानुमान और रोग प्रकोपों तक, वैज्ञानिक उपलब्धियां नियमित रूप से सुर्खियां बनती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय वर्ष २०१०-११ के ६०,१९६.७५ करोड़ से बढ़कर २०२०-२१ में १,२७,३८०.९६ करोड़ हो गया। जबकि यह व्यय सकल घरेलू उत्पाद के लगभग ०.६-०.७ फीसद के आसपास बना रहा। फिर भी इस प्राप्ति के पीछे एक कम चर्चित वास्तविकता मौजूद है। भारत में विज्ञान संबंधी अधिकांश सुर्खियां अब भी घोषणाओं, उपलब्धियों और आधिकारिक कथाओं पर केंद्रित रहती हैं। दूसरे शब्दों में, भारत विज्ञान को बढ़ावा देने में तो अधिक सफल रहा है, लेकिन उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करने में नहीं। साक्ष्यों की पड़ताल करने वाली, दावों की जांच करने वाली, सार्वजनिक धन के उपयोग पर प्रश्न उठाने वाली और वैज्ञानिक सीमाओं को समझाने वाली स्वतंत्र सामग्री अपेक्षाकृत दुर्लभ है। जैसे-जैसे विज्ञान सार्वजनिक नीतियों और दैनिक जीवन को अधिक प्रभावित कर रहा है, यह अंतर अन्दरेखा करना कठिन होता जा रहा है। भारत में विज्ञान लेखन और विज्ञान प्रसार की एक लंबी परंपरा रही है। स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में

भारत में विज्ञान और अनुसंधान पर खर्च लगातार बढ़ रहा है लेकिन वैज्ञानिक दावों, संस्थागत जवाबदेही और सार्वजनिक निवेश की स्वतंत्र पड़ताल अब भी सीमित है। भारत ने वर्षों से अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का व्यापक उत्सव मनाया है। फिर भी इन उपलब्धियों के पीछे की संस्थाएं, निवेश, असफलताएं और जवाबदेही अक्सर सार्थक सार्वजनिक जांच-पड़ताल से बाहर रही हैं। आज भारत में विज्ञान सार्वजनिक जीवन में पहले से कहीं अधिक दिखाई देता है। चंद्र अभियानों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर मौसम पूर्वानुमान और रोग प्रकोपों तक, वैज्ञानिक उपलब्धियां नियमित रूप से सुर्खियां बनती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत का सकल अनुसंधान एवं विकास व्यय वर्ष २०१०-११ के ६०,१९६.७५ करोड़ से बढ़कर २०२०-२१ में १,२७,३८०.९६ करोड़ होगा।

शामिल रहा। मगर विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान पत्रकारिता के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। विज्ञान प्रसार का उद्देश्य वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना होता है, जबकि विज्ञान पत्रकारिता का दायित्व वैज्ञानिक दावों, नीतियों, संस्थानों और सार्वजनिक निवेश की स्वतंत्र जांच-पड़ताल करना भी है। समस्या विज्ञान की कमी नहीं है। समस्या उन संस्थागत ढांचों के सीमित विकास की है, जो विज्ञान को समाज से जोड़ने का कार्य करते हैं। विज्ञान पर लेखन और विश्लेषण को अक्सर वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रचार तक सीमित कर दिया गया है, जबकि उसकी वास्तविक जिम्मेदारी इससे कहीं व्यापक है। उसका कार्य केवल यह बताना नहीं है कि कोई खोज हुई है, बल्कि यह भी समझाना है कि वह खोज क्यों महत्वपूर्ण है, उसकी सीमाएं क्या हैं, उसके सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं और उसके पीछे मौजूद वैज्ञानिक साक्ष्य कितने मजबूत हैं। भारत में विज्ञान लेखन को जगह मिलने का सवाल भी चिंता का विषय है। जब मुख्यधारा के सूचना माध्यमों में विज्ञान को प्राथमिकता नहीं मिलती है, तब विज्ञान पत्रकारिता स्वाभाविक रूप से हाशिये पर चली जाती है। अनेक अध्ययनों से संकेत मिलता है कि विज्ञान

लेखन और विश्लेषण को अक्सर महामारी, आपदा या किसी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के समय ही प्रमुखता मिलती है, जबकि सामान्य दिनों में राजनीति, अपराध और मनोरंजन जैसे विषय समाचार एजेंडे पर हावी रहते हैं। परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन, अनुसंधान नीति, वैज्ञानिक जवाबदेही और शोध की गुणवत्ता जैसे विषय मुख्यधारा की बहसों में अपेक्षित स्थान नहीं बना पाते। विज्ञान पत्रकारिता के लिए समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। टीवी की दुनिया में 'ब्रेकिंग न्यूज' के विपरीत, इसमें पत्रकारों को वैज्ञानिक निष्कर्षों का मूल्यांकन कर उन्हें व्यापक सामाजिक संदर्भ में दुनिया के सामने रखना पड़ता है। अधिकतर समाचार संस्थानों में राजनीति, चुनाव, अपराध और मनोरंजन को अधिक स्थान मिलता है, जबकि विज्ञान को अक्सर एक विशेषीकृत विषय मान लिया जाता है। परिणामस्वरूप जटिल वैज्ञानिक विषयों पर निरंतर और सुगठित लेखन विकसित नहीं हो पाता। हालांकि सोशल मीडिया ने वैज्ञानिक जानकारी तक पहुंच का विस्तार किया है, लेकिन उसने भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को भी बढ़ाया है। अधिकांश विज्ञान लेखन उपलब्धियों और सफलता की कहानियों पर केंद्रित रहते हैं। जहां वैज्ञानिक उपलब्धियों को

चाहिए, क्योंकि भ्रामक सूचनाएं और राजनीतिक दबाव विज्ञान में सार्वजनिक विश्वास के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। अक्सर विज्ञान लेखन किसी नई खोज की घोषणा पर समाप्त हो जाता है, लेकिन पाठकों को यह भी जानना चाहिए कि साक्ष्य कितने विश्वसनीय हैं, कौन-से प्रश्न अब भी अनुत्तरित हैं और क्या खोज से जुड़े दावे वास्तव में उचित हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और जैव-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में लिए जाने वाले वैज्ञानिक निर्णय सीधे नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते हैं। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित विषय नहीं है। जब वैज्ञानिक ज्ञान सार्वजनिक नीतियों, स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी संबंधी निर्णयों को प्रभावित करता है, तब नागरिकों का यह अधिकार भी बनता है कि वे उन निर्णयों के पीछे मौजूद साक्ष्यों, सीमाओं और अनिश्चितताओं को समझ सकें। विज्ञान पत्रकारिता लोगों को इन मुद्दों को समझने और उनसे जुड़ी नीतिगत बहसों में सार्थक भागीदारी करने में मदद करती है।

साथ ही, भारत में विज्ञान पत्रकारिता के लिए अवसर पहले से कहीं अधिक हैं। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जैव-विविधता का क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, खाद्य सुरक्षा और जल संकट जैसे मुद्दे सीधे नागरिकों के जीवन से जुड़े हैं। इन सभी के केंद्र में विज्ञान मौजूद है। भविष्य की सबसे सफल विज्ञान पत्रकारिता वहीं होगी, जो प्रयोगशाला और समाज के बीच की दूरी को कम कर सके। भारत को अब केवल अधिक विज्ञान नहीं, बल्कि विज्ञान पर अधिक सार्वजनिक निगरानी की भी जरूरत है। वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही भी उसनी हो महत्वपूर्ण है। आखिरकार विज्ञान में सार्वजनिक विश्वास केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि इस बात पर भी कि वैज्ञानिक संस्थाएं प्रश्नों और आलोचनात्मक समीक्षा के लिए कितनी खुली हैं।

